



## प्रेस नोट, जालौन पुलिस

दिनांक – 23.10.2024

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना नदीगांव पुलिस टीम द्वारा गैर इरादतन हत्या की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

दिनांक 23.10.2024 को वादीने थाना नदीगांव में तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 22/23.10.2024 की रात्रि को जयसिंह जाटव पुत्र स्व० सीताराम निवासी ग्राम मऊ थाना नदीगांव जनपद जालौन व ललिया उर्फ कैलाश जाटव पुत्र स्व० भूरे जाटव निवासी ग्राम मऊ थाना नदीगांव जनपद जालौन के मध्य किसी बात को लेकर आपस में झगडा हो गया था जिसमें जयसिंह जाटव उपरोक्त द्वारा ललिया उर्फ कैलाश जाटव को सिर में डन्डा मारकर गम्भीर घायल कर दिया था जिसकी दिनांक 23.10.2024 को मृत्यु हो गयी। जिसके संबन्ध में थाना नदीगांव में तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 104/2024 धारा 105 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

थाना नदीगांव पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 24.10.2024 को अभियुक्त जयसिंह जाटव पुत्र स्व० सीताराम निवासी ग्राम मऊ थाना नदीगांव जनपद जालौन को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आला कल्ल एक डन्डा बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. जयसिंह जाटव पुत्र स्व० सीताराम निवासी ग्राम मऊ थाना नदीगांव जनपद जालौन।

### बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद डण्डा

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष नदीगांव मय पुलिस टीम।